

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक/अभिलेखागार/नीलामी/2025/

दिनांक- 3-10-28

:: नीलामी सूचना ::

सर्वसाधारण जिनमें फर्म एवं व्यक्ति सम्मिलित है को सूचित किया जाता है कि अभिलेखागार जिला एवं सेशन न्यायालय भीलवाड़ा की लगभग 15-20 किंवटल रद्दी, जिसमें विडिंगशुदा पत्रावलियां व समाचार पत्र शामिल है, सार्वजनिक नीलामी की जानी है।

यह नीलामी दिनांक 13.10.2025 खुली नीलामी द्वारा की जावेगी। इच्छुक खरीददार दिनांक 13.10.2025 तक निर्धारित धरोहर राशि जमा करवाकर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। नीलामी की जाने वाली रद्दी एवं नीलामी शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय पर किया जा सकता है। नीलामी का स्थान अभिलेखागार के सामने जिला न्यायालय परिसर, भीलवाड़ा होगा।

नीलामी शर्तें जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा की वेबसाईट <http://bhilwara.dcourts.gov.in> पर भी देखी जा सकती है।


अध्यक्ष

रद्दी नीलामी समिति
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय
भीलवाड़ा

दिनांक 3-10-28

क्रमांक 741

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं चस्पानगी नोटिस बोर्ड—

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी, राजसमंद
3. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा
4. समस्त न्यायालय, भीलवाड़ा, न्यायक्षेत्र
5. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
6. आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा
7. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
8. सार्वजनिक नोटिस बोर्ड, सूचना केन्द्र, भीलवाड़ा
9. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर सेल, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सर्व संबंधित को ई-मेल करने हेतु।
10. स्थानीय फर्म.....


अध्यक्ष

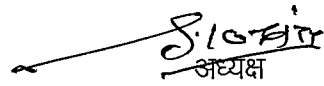
रद्दी नीलामी समिति
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय
भीलवाड़ा

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय भीलवाड़ा

—रद्दी नीलामी की शर्तें—

इच्छुक खरीददार नीलामी राशि को निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होकर निम्नांकित शर्तों के अधीन नीलामी बोली लगा सकता है—

1. यह नीलामी न्यूनतम बोली से प्रारंभ की जावेगी। न्यूनतम बोली नीलामी के समय मौके पर सूचित की जावेगी।
2. नीलामी बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को दिनांक 13.10.2025 को 3.00 बजे तक रुपये 500/— अक्षरे पांच सौ रुपये धरोहर राशि (earnest money) जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि को नीलामी राशि में समायोजित किया जा सकेगा एवं अन्य को नीलामी समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि लौटाई जावेगी।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति को बिना कारण बताए नीलामी को निरस्त/स्थगित करने तथा बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. रद्दी उठाने से पूर्व क्रेता को नीलामीनुसार समस्त राशि मय जीएसटी जमा करानी होगी, अन्यथा स्वीकृत बोली रद्द कर धरोहर राशि जब्त करते हुए क्षतिपूर्ति भी वसूल की जावेगी।
5. सफल बोलीदाता को रद्दी उठाने का पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा, रद्दी की भराई, तुलाई, लदान, मजदूरी आदि का व्यय स्वयं क्रेता वहन करेगा।
6. रद्दी जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलामी दिवस को ही पूर्ण रूप से उठानी होगी, किसी प्रकार की छटनी की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।
7. रद्दी उठाने से पूर्व स्वीकृत अधिकतम बोली लगाने वाले क्रेता को रुपये 50/— गैर न्यायिक (non judicial) स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि उसके द्वारा प्राप्त रद्दी का अग्रिम विक्रय नहीं कर लुगदी बनाने हेतु ही रद्दी का उपयोग किया जावेगा।
8. रद्दी उठाने से पूर्व स्वीकृत अधिकतम बोली लगाने वाले क्रेता को इस आशय की परिवचन (undertaking) देना होगा कि वह भराई, लदान व परिवहन के समय रद्दी को बोरो में भरकर व ढक्कर पूर्णतया सुरक्षित रूप से उनके संग्रहण/उपचार स्थल पर ले जाएगा।


अध्यक्ष

रद्दी नीलामी समिति
कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा